# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 528/2014/अजमेर

श्री पवन मालानी पुत्र श्री पुरूषोतम मालानी,
जति–माहेश्वरी,ज्ञान विहार कॉलोनी,बी.के.कौल नगर,
अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक,द्वितीय,अजमेर
2.श्री सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री गयाप्रसाद शर्मा,
मुख्त्यारखास वास्ते जरिये श्रीमति पुष्पा लोढा,
मैनेजिंग ट्रस्टी श्री उम्मेद अभय धर्मशाला ट्रस्ट,पी.
आर.मार्ग, अजमेर .....अप्रार्थीगण

**एकलपीठ**

**श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री वी.के.गर्ग
अधिकृत अधिवक्ता .....प्रार्थी की ओर से

श्री आर. के.अजमेरा
उप राजकीय अधिवक्ता .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
..... अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई -
- हाजिर नहीं, एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक 27/11/2015

## निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलक्टर(मुद्रांक)वृत,अजमेर जिसे आगे कलक्टर (मुद्रांक) कहा जायेगा, के प्रकरण संख्या 13/11 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2012 के विरूद्ध, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य एग्रीमेंट हुई एक लीज डीड उप पंजीयक अजमेर द्वितीय के समक्ष दिनांक 15.07.2009 को पंजीबद्ध हुई। महालेखाकार की ऑडिट आक्षेप के अनुसार उप पंजीयक ने उक्त लीज डीड (लेख्य पत्र) में सम्पति की मार्केट वेल्यू के अनुसार कम होने से मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत रेफरेंस कलक्टर(मुद्रांक) अजमेर को पेश किया। कलक्टर(मुद्रांक) ने रेफरेंस दर्ज कर, संबंधित पक्षकारान को नोटिस जारी किया। नोटिस तामिल होने के बावजूद भी संबंधित पक्षकारान उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुए। कलक्टर(मुद्रांक) ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अपने निर्णय दिनांक 27.03..2012 द्वारा रेफरेंसानुसार मालियत रू0 2,52,200/–मानते हुए, कमी मुद्रांक रू0 10,180/–,पंजीयन शुल्क रू0 1,260/– तथा शास्ति रू0 560/– कुल रू0 12,000/–प्रार्थी के वसूल करने के आदेश दिये। कलक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से कोई हाजिर नहीं आने से दिनांक 23.11.2015 को अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या एक के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लीज डीड को उप पंजीयक द्वितीय अजमेर द्वारा पंजीबद्ध की है तथा नियमानुसार मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है। उप पंजीयक ने दस्तावेज लौटाने के करीब 18 माह पश्चात विभागीय ऑडिट आक्षेप के आधार पर प्रार्थी को सूचित किये बिना दस्तावेज को कम्मी मालियत का मानते हुए, कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष रेफरेंस प्रस्तुत किया है। कलक्टर(मुद्रांक) ने भी प्रार्थी को विधिवत अवसर प्रदान किये बिना ही तथा पक्ष जाने बिना ही एकपक्षीय निर्णय दिनांक 27.03.2012 पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। उनका निवेदन था कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे एवं कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय को अपास्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या एक के विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता बहस के दौरान कथन किया कि उपपंजीयक द्वारा दस्तावेज में मार्केट वेल्यू के आधार पर मालियत निर्धारित की है एवं प्रार्थी को सूचित भी किया है उसके बाद रेफरेंस तैयार कर कलक्टर (मुद्रांक) को रेफरेंस प्रस्तुत किया है। कलक्टर (मुद्रांक) ने भी प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित किया है। अतः कलक्टर (मुद्रांक) ने निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उनका निवेदन था कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जावे।

प्रार्थी द्वारा निगरानी में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम को, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी (निगरानीकर्ता) के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या एक के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। कलक्टर(मुद्रांक) वृत अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 27.03.2012 में लिखा है कि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मालियत उचित होने के कारण रेफरेंस मूल्यांकन रू0 2,52,200/–स्वीकार करते है लेकिन मालियत का निर्धारण करने के अपने कारणों को स्पष्ट नहीं किया है। इस कारण कलक्टर(मुद्रांक) का निर्णय स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। न्याय का भी यह तकाजा है कि पक्षकारों को सुनकर सकारण निर्णय पारित किया जाना चाहिये, लेकिन निर्णय में कलक्टर(मुद्रांक) ने किस आधार पर मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है, यह अंकित नहीं है। इस कारण कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत निर्णय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इस कारण प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर, कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को इस निर्देश के साथ **"प्रतिप्रेषित"** किया जाता है कि **वें इस प्रकरण में संबंधित पक्षकारों को सुनकर सभी विधिक बिन्दुओं व तथ्यों पर विचार करने के पश्चात तथा मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानुसार, प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर सकारण निर्णय लिखते हुए पुनः निर्णय पारित करे।**

निर्णय सुनाया गया।

27-11-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य